संशोधन

संख्या: 317 /2023/ 6063 /चार-2023-59 (बजट)/2018

प्रेषक,

रघुनाथ प्रसाद वर्मा,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
संस्कृति निदेशालय, उ0प्र0,
जवाहर भवन, लखनऊ।

संस्कृति अनुभाग: लखनऊ: दिनांक 25 अक्टूबर, 2023

विषय: जनपद संत कबीर नगर में संत कबीर अकादमी के निर्माण कार्यों हेतु रू0 140.75 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या- 282/2023/3992/चार-2023-59 (बजट) / 2018, दिनांक 26 सितम्बर, 2023 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त शासनादेश संख्या-282/2023/3992/चार-2023-59 (बजट) / 2018, दिनांक 26 सितम्बर, 2023 में आंशिक संशोधन करते हुए शासनादेश संख्या-282/2023/3992/चार-2023-59 (बजट) / 2018, दिनांक 26 सितम्बर, 2023 के प्रस्तर-2 में उप प्रस्तर- (7) निम्नानुसार जोड़ा जाता है:-

(7) स्वीकृत धनराशि संबंधित कार्यदायी संस्था - उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ को उनके बैंक खाते में उपलब्ध करायी जायेगी।

3- उक्त शासनादेश संख्या-282/2023/3992/चार-2023-59 (बजट) / 2018, दिनांक 26 सितम्बर, 2023 इस सीमा तक संशोधित समझा जायेगा। शेष शर्तें यथावत् रहेंगी।

भवदीय,
रघुनाथ प्रसाद वर्मा
अनु सचिव।

संख्या- 317 /2023/ 6063 (1) /चार-2023-59 (बजट)/2018 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- प्रधान महालेखाकार, (लेखा व हकदारी) प्रथम, उ0प्र0 प्रयागराज।
2- जिलाधिकारी, संतकबीरनगर, उ0प्र0।
3- निदेशक, संत कबीर अकादमी, उ0प्र0।
4- वित्त नियंत्रक, संस्कृति निदेशालय, उ0प्र0 जवाहर भवन, लखनऊ।
5- प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, नीलगिरि काम्प्लेक्स, इन्दिरा नगर, लखनऊ।
6- मुख्य कोषाधिकारी, कोषागार, जवाहर भवन, लखनऊ।
7- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/वित्त(ई-7)अनुभाग, उ0प्र0 शासन।
8- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
रघुनाथ प्रसाद वर्मा
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in